**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर**

**पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिह हाडा**

संख्या 01/11 तारीख रजू– 06/01/2011

हुसैन पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान तेली निवासी चौथ का बरवाडा जिला ----- प्रार्थी

...पुर।

बनाम

... पुत्र नाथू जाति मुसलमान तेली निवासी चौथ का बरवाडा।

... सलाहकार समिति जरिये उपजिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर।

... जरिये तहसीलदार,चौथ का बरवाडा।

------ रेस्पोण्डेण्टस

**निर्णय** दिनांक–06/07/2015

...र्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम,1970 के नियत ... के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे दिनांक 29/06/76 को ग्राम चौथ का बरवाडा की आराजी ... नम्बर 1082 रकवा एक बीघा तीन बिश्वा जिसके नये खसरा नम्बर 2371 रकबा 0.29 हेक्टेयर बने है, ... किये गये आबंटन आदेश के विरूद्व प्रस्तुत करते हुए भूमि आबंटन आदेश को निरस्त करने बाबत ... किया है।

...र्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी ... आबंटन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये ... व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय ...बंटन संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

...विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बह समे तर्क दिया कि ... न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलध तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। विद्वान ...प्रार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि आबंटन सलाहकार समिति ने आबंटन करने से पूर्व न तो ... जारी की ओर ना ही मजमे आम मे आबंटन किया बल्कि गुप्त रूप से अप्रार्थी को आबंटन कर ... जो निरस्तनीय है। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि आबंटन करने से पूर्व ... सलाहकार समिति ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि आबंटी के पास आबंटन के समय 14 बीघा ... भूमि खाते मे थी इसलिये भूमिहीन नही होते हुए भी आबंटन कर दिया जो निरस्तनीय है। विद्वान ...प्रार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या की संयुक्त ... काश्त व खातेदारी की भूमि साबिक ख0न0 1075,1076,1080,1083,1084 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा ... स्थित थी जो दोनो ने ही कल्लू खॉ से सम्मिलित रूप से जरिये रजिस्ट्री खरीद की थी ओर उक्त ... नम्बरो के लगते ही ख0न0 1082 रकबा एक बीघा तीन बिश्वा सिवायचक स्थित थी जिसपर प्रार्थी ... लिया तथा उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थी का कब्जा रहा है तथा वरवक्त आबंटन मोके पर भूमि खाली ... थी लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 चालाक किस्म का व्यक्ति है ओर उसने पटवारी से मिलकर यह रिपोर्ट ... की उक्त आबंटित भूमि अलोटी के खेत से मिली हुई है लेकिन उक्त आबंटित भूमि प्रार्थी व ...प्रार्थी के सम्मिलित खातेदारी मे थी जिसके कारण किया गया आबंटन निरस्तनीय है। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी व अप्रार्थी मामा भुआ के लडके है तथा दोनो ही का संयुक्त कब्जा ... रहा था लेकिन अप्रार्थी ने धोखे से अपने ही नाम आबंटन करवा लिया है जो निरस्तनीय है। अतः ...र्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे किया गया आलोच्य आबंटन आदेश ... किया जावें।

...िक जिला कलेक्टर

सवाई माधोपुर

वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी ने कतई के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमे नाम मात्र की सत्यता नही है। विद्वान वकील बहस मे यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी को अप्रार्थी के नाम आबंटन हुई भूमि के आबंटन होने की पूर्ण जानकारी थी लेकिन प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य सिविल प्रकरण विचाराधीन होने के कारण प्रार्थना पत्र आबंटन निरस्ती का प्रस्तुत किया है जो निरस्तीय है। विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस तर्क दिया कि अप्रार्थी को आबंटन के पूर्व प्रार्थी ने आबंटित भूमि पर अपने पिता का कब्जा होना कि संवत 2019 मे रामदेवा धाकड, संवत 2025 मे नूरया व संवत 2021 मे नन्दा बैरवा के नाम की रिपोर्ट हुई है व प्रार्थी गलत तथ्य बताकर अप्रार्थी का आबटन निरस्त करवाना चाहता है। अप्रार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि आबंटित भूमि का अप्रार्थी को गैर खातेदारी से दिनांक 16/05/89 को प्राप्त हो चुकी है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद निरस्त नही कराया जा सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो पर आधारित होने के खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा आबंटन संबंधी पत्रावली व आबंटन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थी भूमि के आबंटन बाबत विधिवत रूप से आबंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर ने रिपोर्ट अंकित की है कि आबंटित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी के खेत से मिला हुआ है आबंटन सलाहकार समिति ने छोटी टुकडी के तहत आबंटन की राय प्रस्तुत की है जिसके पश्चात अधिकारी ने अप्रार्थी के पक्ष मे आबंटित भूमि का आदेश दिया गया है। वकील प्रार्थी का यह कथन आबंटन सलाहकार समिति ने आबंटन किये जाने से पूर्व उदघोषणा जारी नही की है तो जब प्रार्थी को की जानकारी थी तो उसे भी उदघोषणा की नकल प्राप्त कर आबंटन का प्रार्थना पत्र आबंटन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था व वकील प्रार्थी ने बहस के दोरान इस बात का कोई नही किया है कि प्रार्थी ने भी आबंटन सलाहकार समिति के समक्ष आबंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तक आबंटन के पश्चात अप्रार्थी द्वारा आबंटन नियमो की पालना का प्रश्न है तो अप्रार्थी ने संवत 2034 तक की खसरा परिवर्तनशील की नकल प्रस्तुत की है जिसमे अप्रार्थी का आबंटित भूमि पर होना बताया है जिससे यह साबित हेाता है कि आबंटी द्वारा आबंटन शर्तो की पालना की गई अतिरिक्त आबंटी के पक्ष मे गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 2075 भी दिनांक को खोला जा चुका है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आबंटन को 35 वर्ष पश्चात नियमो के अन्तर्गत निरस्त नही करवाया जा सकता जब तक आबंटन पूर्णतः छल व कपटपूर्वक किया गया हो। प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर अप्रार्थी आबंटी आबंटन तथ्यो को छुपाते हुए छलपूर्वक कराया गया हो तथा आबंटन आदेश मे कोई अवैधानिकता व अवैधानिकता हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम,1970 के नियमों के तहत किया आबंटन आदेश दिनांक 29/06/76 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा आराजी खसरा नम्बर 1082 रकवा तीन बिश्वा जिसके नये खसरा नम्बर 2371 रकबा 0.29 हेक्टेयर बने है को यथावत रखा जाता

निर्णय आज दिनांक 06/07/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर